C.N.R. NO. UPDE 0100 2789 2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी- धनेन्द्र प्रताप सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP2016

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1113/2026

धर्मराज यादव पुत्र स्व० अमर यादव
साकिन- तरकुलवा पाखन टोला, थाना- तरकुलवा, जिला- देवरिया।

प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **प्रतिपक्षी**

मुकदमा अपराध संख्या- 05/2026,
धारा- 308(5),351(3),352 भा.न्या.सं.
थाना- तरकुलवा, जनपद- देवरिया।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **धर्मराज यादव** जो मुकदमा अपराध संख्या 05/2026, धारा 308(5),351(3),352 भा.न्या.सं., थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया के मामले में नामजद एवं वांछित है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ शपथकर्ता धर्मराज यादव द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र है। अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो दिया गया है, न निरस्त हुआ है और न विचाराधीन है।

3. प्रथम सूचनाकर्ता सत्यनरायन सिंह (प्रधानाचार्य) द्वारा थाना- तरकुलवा, जिला- देवरिया में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है कि वह अप्रैल 2025 से श्री दुर्गा इंटर कॉलेज सोहनरिया, देवरिया में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। इसी बीच सितंबर माह में धर्मराज यादव पुत्र स्व० अमर यादव निवासी पाखन टोला (तरकुलवा), जिला देवरिया ने उसे बुलाकर कहा कि तुम्हारे पहले के प्रधानाचार्य हर महीने उसे कुछ रूपये देते थे, तुमको भी देना होगा, अन्यथा सूचना मांग-मांग कर इतना परेशान कर दूंगा कि तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। तरकुलवा में आकर उसके विषय में पता कर लेना, मैं कैसा आदमी हूँ। उसकी सूचना मांगने के कारण इसी इलाके के कई लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं। उसके द्वारा पता करने पर ज्ञात हुआ कि धर्मराज यादव एक शातिर किस्म का अपराधी होने के साथ-साथ आर.टी.आई. ब्लैकमेलर है, उसके द्वारा आर.टी.आई. में अनावश्यक सूचनाएँ मांगने से तरकुलवा कस्बे के विभिन्न विभागों के डॉक्टर, अध्यापक कर्मचारी भयभीत रहते हैं। धर्मराज यादव पहले आर.टी.आई. मांगता है फिर संपर्क कर आर.टी.आई. के बदले रूपया ऐंठने का काम करता है। कुछ दिन बीता ही था कि दिनांक 06.10.2025 को धर्मराज यादव का भेजा हुआ आर.टी.आई. प्राप्त हुआ तो वह भयभीत होकर दिनांक 15.10.2025 को धर्मराज यादव के घर तरकुलवा के पाखन टोला में सुबह 08:00 बजे पहुंचा तो धर्मराज यादव अपने दरवाजे पर ही लगभग एक घंटा बैठकर भला-बुरा कहते रहा और अपना आपराधिक इतिहास बताते हुए,

कहे कि यदि आर.टी.आई. से बचना चाहते हो तो दिवाली तक 10,000/- रूपये देने होंगे अन्यथा जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि जेल में रहते हुए उसके कई अपराधियों से संपर्क हो चुका है। फिर उसने डरकर 3000/- रूपये नगद, जो उसके पास था, देकर अपना पीछा छुड़ाया और शेष रूपया दिवाली से पहले देने को कहा तो धर्मराज यादव ने कहा ज्यादा चालाकी मत दिखाना, उसे रूपये की सख्त जरूरत है क्योंकि उसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें बहुत रूपया खर्च हो रहा है। वह डरकर तथा जानमाल को ध्यान में रखते हुए दिनांक 19.10.2025 को उसके खाते में मोबाइल नं० 9415782904 पर रूपये 2000 अपने भतीजे के मोबाइल नं० 6392099694 से भेज दिया। किंतु पूरी रकम 10000 न मिलने से नाराज धर्मराज यादव फिर से दिनांक 27.10.2025 को आर.टी.आई. मांग कर परेशान कर रहा है, शेष 5000 मांग रहा है और कहा है कि रूपया नहीं दोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुनः वह भयभीत होकर, दिनांक 13 नवंबर 2025 को रूपया 1000 अपने मोबाइल नं० 8601314861 के जरिए धर्मराज यादव के मोबाइल नं० 9415782904 पर भेज दिया। धर्मराज यादव की रंगदारी और जानमाल की धमकी से वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है और इस शातिर अपराधी की धमकी से भयाक्रांत है। धर्मराज यादव के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं तथा पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा हाल ही में धर्मराज यादव को गुंडा एक्ट में भी विरुद्ध किया गया है। दर्ज मुकदमों का विवरण निम्न है- मु०अ०सं० 23/009, धारा 147,427,506 भा.दं.वि., मु०अ०सं० 45/2013, धारा 323,504,506,354 भा.दं.वि. 3(1) एससी. एक्ट, मु०अ०सं० 807/2015, धारा-147,149,323,336,427,504,506 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 676/2015, धारा 323,324,379,427,504,506 भा.दं.वि., मु०अ०सं० 407/2023, धारा 386,506 भा.दं.वि. एवं मु०अ०सं० 164/2025, धारा 35(3) भा.न्या.सं. है। अतः उचित कार्यवाही किये जाने की माँग की गयी।

4. प्रथम सूचनाकर्ता के आधार पर दिनांक 07.01.2026 को थाना तरकुलवा में मु०अ०सं० 05/2026 धारा- 308(5),351(3),352 भा०न्या०सं० अभियुक्त धर्मराज यादव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये है कि वह निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। तथाकथित घटना दिनांक 15.10.2025 से 13.11.2025 की कही जाती है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07.01.2026 को विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। दिनांक 15.10.2025 को बुधवार था कोई अवकाश नहीं था। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा का प्रार्थी/अभियुक्त से घर आने का कथन व नगद रूपया देने का कथन गलत साबित होता है। वादी मुकदमा सत्यनरायन सिंह के पट्टीदार हरिलाल सिंह पुत्र शारदा ग्राम चिउरहा थाना तरकुलवा, जिला देवरिया प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आर.टी.आई. की अपील संख्या एस. 4/118ए/2024 में उक्त हरिलाल सिंह अपने आपको अध्यापक शहीद रामचन्द्र इन्टर कॉलेज बसन्तपुर धुसी तरकुलवा, देवरिया का अध्यापक कहते हुए उक्त अपील में प्रस्तुत हुए थे और राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर जनसूचना अधिकारी की तरफ से हाजिर हुए थे। उक्त अपील में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 26.10.2023 को प्रधानाचार्य शहीद रामचन्द्र इंटर कॉलेज बसन्तपुर धूसी, देवरिया से कुछ सूचना से मांगी थी। सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपील संख्या जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के समक्ष दिनांक 29.12.2023 को प्रस्तुत किया। वहां भी वह उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई सूचना दिए तब द्वितीय अपील दिनांक 01.03.2024 को आयोग के समक्ष माननीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। माननीय राज्य

सूचना आयोग आयुक्त के वहां हरिलाल सिंह अपने आपको शहीद रामचन्द्र इन्टर कॉलेज बसन्तपुर धूसी तरकुलवा देवरिया का अध्यापक बताते हुए, माननीय आयोग को यह अवगत कराया कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2023 के क्रम में वांछित सूचना 07.11.2023 एवं 19.12.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजी जा चुकी है। बाद में प्रार्थी/अभियुक्त को यह ज्ञात हुआ कि हरिलाल सिंह शहीद रामचन्द्र इन्टर कॉलेज बसन्तपुर धूसी तरकुलवा जनपद देवरिया के अध्यापक नहीं है तब प्रार्थी/अभियुक्त ने आर.टी.आई. 10.10.2025 को प्रधानाचार्य शहीद रामचन्द्र इंटर कॉलेज बसन्तपुर धूसी तरकुलवा देवरिया से आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगी कि क्या आपके विद्यालय में हरिलाल सिंह कार्यरत है, जिसके बाबत प्रधानाचार्य द्वारा सूचना काफी विलम्ब से बिना दिनांक के दी गयी, जिसमें विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी की सूची में हरिलाल सिंह का नाम दर्ज नहीं है। हरिलाल सिंह के बाबत आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगे जाने की सूचना वादी मुकदमा सत्यनरायन सिंह को होने पर वह प्रार्थी/अभियुक्त को हैरान परेशान व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे और कहने लगे कि तुम हरिलाल सिंह के बाबत कोई सूचना न मांगो। दिनांक 15.10.2025 को मुकदमे में बल देने के लिये गलत कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के घर जाकर 3000/- रूपये देना गलत रूप से दर्शित कर दिया है तथा पुनः इसी प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में दिनांक 19.10.2025 को किसी अनजान व्यक्ति के खाते से 2000/-रूपये मोबाइल से भेजवाया जाना कहा जाता है एवं 13.11.2025 को वादी मुकदमा द्वारा अपने मोबाइल से प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाइल पर 1000/-रूपये भेजा जाना कहा जाता है, जिसकी कोई जानकारी अभियुक्त को तत्काल नहीं हो सकी और न ही उसने किसी प्रकार से रूपया की कोई मांग की। प्रार्थी/अभियुक्त को मोबाइल से वादी मुकदमा द्वारा रूपया भेजे जाने की जानकारी होने पर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09.12.2025 को विधिक नोटिस दिया कि रूपया मेरे खाते में बिना मांगे क्यों भेजे परंतु उक्त नोटिस का जबाव वादी मुकदमा द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि वादी मुकदमा पूर्व सुनियोजित तरीके से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध सबूत इकट्ठा कर, अभियुक्त को हैरान करने के लिये उसके खाते में भेजा था। वादी मुकदमा द्वारा कुल 3000/- रूपये अभियुक्त के खाते में मोबाइल द्वारा एवं 3000/- नगद दिने का उल्लेख किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कभी भी वादी मुकदमा से आर.टी.आई. के तहत सूचना के बदले पैसे की मांग नहीं की और न उसने दिनांक 15.10.2025 को वादी मुकदमा से रूपया प्राप्त किया और न ही वादी मुकदमा ने उसके द्वारा मांगने पर दिनांक 19.10.2025 व 27.10.2025 को रूपया भेजा है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को कभी भी जान से मारने की धमकी नहीं दी गयी है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जन साक्षी नामित नहीं किया गया है, इससे भी तथाकथित घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अपराध अजमानतीय है पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 308(5),351(3),352 भा.न्या.सं. का अपराध नहीं बनता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अपराध की गंभीरता बताते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया एवं

पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

8. प्रस्तुत मामले की केस डायरी एवं थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त अपराध संख्या 05/2026, धारा 308(5),351(3),352 भा.न्या.सं., थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया के मामले में नामजद एवं वांछित हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा आर.टी.आई. के माध्यम से अनावश्यक सूचनाओं की मांग करते हुए, प्रथम सूचनाकर्ता को डरा-धमकाकर एवं जान-माल की धमकी देते हुए, उससे 10,000/-रूपये अनावश्यक रूप से वसूलने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित तथ्यों से प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में सक्रिय संलिसता प्रथम दृष्टया दर्शित है। प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने से उसके द्वारा विवेचना में हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार इस स्तर पर विद्यमान नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य तीन मामलों में आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है।

9. अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **धर्मराज यादव** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।

दिनांकः- 01.07.2026